न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामील जारी हुए
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी प्र. क्र. 17/13 दि 6/2/16 समक्ष : श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा, RAS. टोलीराम S/o पन्नालाल ब्राह्मण नि. बरेखन बनाम कमलाबाई D/o नन्दा बलाई बरेखन प्रा. पत्र 251A RTA निर्णय संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि एक प्रा. पत्र प्रार्थीया ने विपक्षी (1) कमलाबाई पुत्री नन्दा बलाई (2) प्रेमचन्द S/o मोतीलाल (3) भवानीशंकर S/o मोतीलाल का पेश किया कि मौजा बरेखन प्रार्थी की आ. नं. 948 मे रास्ता बाबत विपक्षी की आ. नं. 861, 920, 923, 922, 921, 919, 917 के पूर्वी भाग मे जाने हेतु रास्ते की जरूरत है। विपक्षी ने अपने जवाब मे विरोध किया कि उक्त आराजी मे जाने-आने का रास्ता गलत कायम करने का प्रा. पत्र पेश किया है और उसको यह अधिकार नही है। तहसीलदार छोटी सादड़ी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट। [illegible] आराजियात मे प्रार्थी मेड़ पर होकर आना जाना बताया जाता है दोनो पक्षो का कथन गलत मेड़ पर कोई रास्ता नही है। और आ.नं. [illegible] 0.45 पर रास्ता बिलानाम से दक्षिण	

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	लम्बाई 108 मीटर है। बाद रिपोर्ट तहसीलदार के प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की और निवेदन किया कि प्रार्थी की आ.नं. 948 रकबा 0.13 हे० हेतु विपक्षीगण की वादग्रस्त आराजी नं. से रेकार्डेड रास्ता दिलवाया जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का बिलानाम भूमि पर से रास्ता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किया जावे। दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने-जाने का रास्ता पूर्व से ही बिलानाम भूमि से है तो अलग से रास्ता दिया जाना आवश्यक नहीं है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार छोटीसादड़ी अनुसार प्रा. पत्र 251A खारिज किया जाता है। पत्र निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी 6/3/8